

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्र. 60-एफ-1-36-2010-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 (1) (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, ग्राम पंचायत, करही एवं पांडल्याखुर्द, जिला खरगोन को निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को अब नगर परिषद्, करही एवं पांडल्याखुर्द अधिसूचित किया जाता है:—

सारणी

क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	क्षेत्र का नाम (4)	सम्मिलित क्षेत्र का विवरण (5)
1.	खरगौन	महेश्वर	नगर परिषद्, करही एवं पांडल्याखुर्द	ग्राम पंचायत, करही एवं पांडल्याखुर्द का संपूर्ण क्षेत्र

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 नवम्बर 2011

क्र. 61-एफ-1-18-2011-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 (1) (ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, ग्राम पंचायत, पानखेड़ी (कालापीपल) जिला शाजापुर को निम्न सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र को अब नगर परिषद्, पानखेड़ी (कालापीपल) अधिसूचित किया जाता है:—

सारणी

क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)	क्षेत्र का नाम (4)	सम्मिलित क्षेत्र का विवरण (5)
1.	शाजापुर	कालापीपल	नगर परिषद्, पानखेड़ी (कालापीपल)	ग्राम पंचायत, पानखेड़ी (कालापीपल) का संपूर्ण क्षेत्र

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.